दिनांक–20.01.2026 को सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार

बैठक की कार्यवाही

बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए विभाग के अपर सचिव श्री राजेश कुमार सिंह द्वारा सभी उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत किया गया तथा कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर निदेश दिया गया:–

- पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्य हेतु बजट से संबंधित विहित प्रपत्र भरने का सभी कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया जिसमें 15 फरवरी, 2026 तक पूर्ण कराये जाने वाली पंचायत सरकार भवनों की संख्या भी अंकित की जाय।
- किसी भी योजना हेतु चिन्हित स्थल पर 10 फीट या उससे अधिक गढ्ढ़ा होने की स्थिति में कार्यपालक अभियंता को उक्त निर्माण कार्य का निरूपण नक्शा मुख्य अभियंता (निरूपण) से एक महीने के अन्दर अनुमोदन कराने के पश्चात् ही कार्य प्रारंभ कराया जाय।
- योजना का क्रियान्वयन अनुमोदित BOQ के विशिष्टियों के अनुसार ही कराया जाय। स्थल के कारण यदि किसी प्रकार की विचलन (घटोत्तरी/बढ़ोतरी) संभावित हो तो उसपर सक्षम प्राधिकार का स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

अनुपालन–सभी कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल।

➢ विधि विभाग

- मधुबनी जिलान्तर्गत लॉयर्स हॉल, झंझारपुर के निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मधुबनी द्वारा बताया गया कि आवंटन मिलने के एक सप्ताह के अन्दर उक्त निर्माण कार्य को पूर्ण कराया लिया जाएगा। प्रशासी विभाग को आवंटन विमुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया।

अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मधुबनी

- मधेपुरा जिलान्तर्गत व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा के पुराने परिसर में कर्मचारियों हेतु डी0 टाईप (जी0+3) आवास का निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि उक्त निर्माण कार्य 31.01.2026 तक पूर्ण करा लिया जाएगा तथा इस योजना में कुछ अप्रयुक्त राशि शेष है, जिसे वापस लेने का बजट प्रशाखा को निदेश दिया गया।

अनुपालन–बजट प्रशाखा

- सुपौल जिलान्तर्गत अनुमंडल व्यवहार न्यायालय, बीरपुर में 10 कोर्ट (जी0+4) भवन के निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सुपौल द्वारा सूचित किया गया कि उक्त निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं साफ–सफाई का कार्य प्रगति में है। परन्तु प्रशासी विभाग द्वारा परिसर में मिट्टी भराई एवं चहारदीवारी का कार्य कराने की मांग की जा रही है। अपर सचिव,

भवन निर्माण विभाग द्वारा कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि उक्त कार्य का प्राक्कलन तैयार कर मुख्य अभियंता (निरूपण) को भेजा जाए। इस कार्य हेतु अलग से प्रशासनिक स्वीकृति ली जाय तथा भवन के हस्तांतरण हेतु पत्र दिया जाय।

अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सुपौल

- अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, दाउदनगर, औरंगाबाद के परिसर में 20 पी0ओ0 आवास (जी0+5) के निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि छठे तल पर ट्रांजिट–सह–गेस्ट हॉउस के निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रशासी विभाग के स्तर से दिया जाना शेष है, जिस कारण पैरापेट दीवार, ममटी एवं मशीन रूम ओवरहेड प्लबिंग कार्य एवं छत का वाटरप्रुफिंग कार्य बाधित है। कार्यपालक अभियंता को कार्य का पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अग्रतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, औरंगाबाद

- मधेपुरा जिलान्तर्गत व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा में लॉयर्स हॉल के निमार्ण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि कार्य की प्रगति बहुत धीमी है। संवेदक को डिबार किया जा चुका है तथा कालीकृत करने की अनुशंसा की जा रही है।

अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मधेपुरा

- नालंदा जिलान्तर्गत व्यवहार न्यायालय, बिहार शरीफ, नालंदा में 8 कोर्ट भवन (जी0+5) एमिनिटी भवन (जी0+4) एवं हाजत भवन (जी0+1) का निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, नालंदा द्वारा बताया गया कि उक्त निर्माण कार्य अंतिम चरण में है परन्तु आवंटन के अभाव के कारण कार्य की प्रगति बहुत धीमी है। कार्यपालक अभियंता को जल्द से जल्द कार्य पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, नालंदा

- औरंगाबाद जिलान्तर्गत अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, दाउदनगर में 10 कोर्ट भवन (जी0+5) का निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि आवंटन के अभाव के कारण कार्य की प्रगति धीमी है। कार्यपालक अभियंता को संवेदक द्वारा जल्द से जल्द कार्य पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, औरंगाबाद

- बक्सर जिलान्तर्गत व्यवहार न्यायालय, बक्सर में पुराने पी0ओ0 क्वार्टर एवं पुराने जिला एवं सत्र न्यायाधीश आवासीय परिसर में 10 पी0ओ0 आवास (जी0+5) का निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, बक्सर द्वारा बताया गया कि प्रशासी विभाग द्वारा प्राक्कलन में निहित Specifications/Items के अतिरिक्त कुछ कार्य कराने की मांग की जा रही है। कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि मुख्य अभियंता (दक्षिण) को इस संबंध में पत्र दिया जाय।

मुख्य अभियंता के स्तर से विधि विभाग को पत्र देकर सहमति ली जाय, तत्पश्चात ही प्राक्कलन में कोई परिवर्तन किया जाय।

अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, बक्सर

- पटना उच्च न्यायालय, पटना के परिसर में न्यायाधीशों, पदाधिकारियों एवं आमजनों हेतु पार्किंग, पोस्टल, बैंकिंग, सूचना केन्द्र, क्रेच, रेलवे आरक्षण एवं अन्य सुविधाओं की उपलब्धता हेतु बहुउद्देशीय भवन (बी0+जी0+3) का निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, उच्च न्यायालय, पटना द्वारा बताया गया कि प्रशासी विभाग द्वारा दो अतिरिक्त तल्लों के निर्माण की मांग की जा रही है। इस संबंध में पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रमंडल से भेजा गया है परन्तु विधि विभाग से कोई सैद्धांतिक सहमति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। प्रशासी विभाग को इस संबंध में ध्यान देने का अनुरोध किया गया।

अनुपालन–प्रशासी विभाग

- बेगूसराय जिलान्तर्गत व्यवहार न्यायालय, बेगूसराय के मुंगेरीगंज में पुराने सी0जे0एम0 आवासीय परिसर में 10 पी0ओ0 (जी0+5) एवं 20 पी0ओ0 (जी0+5) का निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, बेगूसराय द्वारा बताया गया कि 20 पी0ओ0 (जी0+5) के उपर Transit House का निर्माण किया जाना है, जिसका प्राक्कलन तैयार करने हेतु निरूपण नक्शा की आवश्यकता है। कार्यपालक अभियंता को इस संबंध में मुख्य अभियंता (निरूपण) से सम्पर्क करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, बेगूसराय

- मुख्य वास्तुविद्, भवन निर्माण विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया कि केवल 20 पी0ओ0 (जी0+5) के छठे तल पर ही Transit House का निर्माण किया जाना है, यदि 10 पी0ओ0 के 2 ब्लॉक मिलाकर 20 पी0ओ0 बनाया जा रहा है तो इस स्थिति में Transit House का निर्माण नहीं किया जाएगा। सभी कार्यपालक अभियंता को यह निदेश दिया गया कि उक्त निर्माण कार्य हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश से सहमति ली जाए तथा निरूपण नक्शा में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उसमें (जी0+6) तक का मॉडल डिजाईन किया गया है या नहीं। मुख्य वास्तुविद् द्वारा बताया गया कि अक्टूबर, 2023 के बाद (जी0+6) तक का मॉडल डिजाईन किया गया है। यदि डिजाईन अक्टूबर, 2023 के पूर्व का हो तो Transit House के निर्माण हेतु यह देख लिया जाए कि निरूपण नक्शा जी0+6 भवन के लिये डिजाईन है अथवा नहीं। यदि उक्त कार्य अनुज्ञेय सीमा के अन्दर पूर्ण नहीं किया जा सकता है तो कार्य की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रशासी विभाग से ली जाय। प्रशासी विभाग को Transit House के निर्माण के संबंध में जल्दी निर्णय लेने का अनुरोध किया गया।

अनुपालन–प्रशासी विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल

- सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा बताया गया कि प्रशासी विभाग के द्वारा निधि उपलब्ध कराने में हो रही देरी से योजनाओं के क्रियान्वयन में समस्या आ रही है। आवंटन के ससमय विमुक्त न होने के कारण योजना की प्रगति पर प्रतिकूल

प्रभाव पड़ रहा है। अतः प्रशासी विभाग द्वारा निधि की उपलब्धता पहले से सुनिश्चित की जानी जाहिऐ।

अनुपालन–प्रशासी विभाग / सभी कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल

- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर द्वारा बताया गया कि SNA-SPARSH Module में लॉयर्स हॉल का बिल भुगतान करने में समस्या आ रही है। प्रशासी विभाग को SNA-SPARSH Module के उपयोग में आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु अनुरोध किया गया।

अनुपालन–प्रशासी विभाग

- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, बक्सर द्वारा बताया गया कि Family Court एवं Excise Court, Buxer का निर्माण कार्य एक वर्ष पूर्व ही पूर्ण हो चुका है परन्तु अभी तक प्रशासी विभाग द्वारा भवन हस्तांतरण नहीं लिया गया है। प्रशासी विभाग को जल्द–से–जल्द भवनों का हस्तांतरण लेने हेतु अनुरोध किया गया।

अनुपालन–प्रशासी विभाग

- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, अरवल द्वारा बताया गया कि CJM, ADJ एवं DJ Residence का निर्माण कार्य दो वर्ष पूर्व ही पूर्ण किया जा चुका है परन्तु प्रशासी विभाग द्वारा भवन हस्तांतरण नहीं लेने के कारण चोरी जैसी समस्या सामने आ रही है। प्रशासी विभाग को जल्द–से–जल्द भवनों का हस्तांतरण लेने हेतु अनुरोध किया गया।

अनुपालन–प्रशासी विभाग

- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, पूर्णियाँ द्वारा अनुरोध किया गया कि लॉयर्स हॉल, पूर्णियाँ का प्राक्कलन (विद्युत कार्य सहित) रू0 82 लाख का गठित किया गया है। अतः इसके लिए पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता है। अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा निदेश दिया गया कि उक्त निर्माण कार्य को दी गयी प्रशासनिक स्वीकृति की राशि के अन्दर ही पूर्ण करा लिया जाय।

अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, पूर्णियाँ

- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, पूर्णियाँ द्वारा बताया गया कि लॉयर्स हॉल, धमदाहा, बनमंखी एवं वायसी में चहारदिवारी के प्रावधान प्राक्कलन में नहीं था परन्तु प्रशासी विभाग द्वारा चहारदिवारी बनाने की मांग की जा रही है। कार्यपालक अभियंता को यह निदेश दिया गया कि चहारदिवारी के कार्य का अलग से प्राक्कलन तैयार कर प्रशासी विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति ली जाय।

अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, पूर्णियाँ

- सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा निदेशक (अनुश्रवण) को विधि विभाग की उन सभी योजनाओं की सूची तैयार कराने का निदेश दिया गया जिनका हस्तांतरण शेष है एवं जिनमे आवंटन के अभाव में कार्य बाधित है।

अनुपालन–निदेशक (अनुश्रवण) / सभी कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल

➢ विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

- सात निश्चय कार्यक्रम अन्तर्गत किशनगंज जिला में स्थापित एवं संचालित राज्य के अभियंत्रण महाविद्यालय, किशनगंज के अतिरिक्त निर्माण कार्य यथा–सहायक प्रध्यापक के लिए एक स्टूडियों अपार्टमेंट (जी0+5), 300 बेड का एक बालक छात्रावास (जी0+5) (02 ब्लॉक), 200 बेड का एक बालिका छात्रावास भवन (जी0+3), टाईप सी0 भवन (जी0+5) (गेस्ट हॉउस / प्रध्यापक / सह–प्राध्यापक / सहायक प्रध्यापक) तथा एमेनिटी भवन (जी0+1) कार्य का निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, किशनगंज द्वारा बताया गया कि कार्य उक्त कार्य में टार्सफरमर का प्रावधान हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्रशारी विभाग को भेजा गया है।

  अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा प्रशासी विभाग से अनुरोध किया गया कि उक्त कार्य का प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अग्रतर कार्रवाई किया जाय।

  अनुपालन–प्रशासी विभाग

- विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री के सात निश्चय कार्यक्रम के तहत स्थापित एवं संचालित बख्तियारपुर अभियंत्रण महाविद्यालय, बख्तियारपुर के परिसर में स्टूडियो अपार्टमेंट (20 यूनिट) के निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल पटना सिटी के द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य पूर्ण हो चुका है परन्तु हस्तांतरण नहीं लिया गया है।

  अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा प्रशासी विभाग को अनुरोध किया गया कि उक्त कार्य का हस्तांतरण ससमय लिया जाय।

  अनुपालन–प्रशासी विभाग

- तारामंडल, पटना में लिफ्ट अधिष्ठापन कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, पटना द्वारा बताया गया कि पटना के तारामंडल में हाइड्रोलिक लिफ्ट लगाना था। लिफ्ट कार्य पर प्रशासी विभाग द्वारा रोक लगा दी गयी है।

  उक्त कार्य के लिफ्ट का अधिष्ठापन पिछले भाग पर लगाने का प्रस्ताव था। इस संबंध में मुख्य वास्तुविद् को निदेश दिया गया कि उक्त कार्य पर अपने स्तर से निरिक्षण करना सुनिश्चित करें।

  अनुपालन–मुख्य वास्तुविद् /
  कार्यपालक अभियंता, पटना भवन प्रमंडल, पटना

➢ आपदा प्रबंधन विभाग

- मधुबनी जिला के बेनीपट्टी प्रखंड अन्तर्गत विसनपुर पंचायत में बाढ़ आश्रय स्थल का निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मधुबनी द्वारा बताया गया कि संवेदक द्वारा कार्य छोड़ दिया गया है तथा अंतिम मापी कराकर अवशेष कार्य का प्राक्कलन अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजा गया है।

  अनुपालन–मुख्य अभियंता (उत्तर)

- दरभंगा जिलान्तर्गत किरतपुर अंचल के झगरूआर तरवार पंचायत में बाढ़ आश्रय के निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल, दरभंगा द्वारा बताया गया कि उक्त निर्माण स्थल नदी के किनारे है। बारिश एवं बाढ़ के कारण रास्ता अवरूद्ध हो जाता है। कार्यपालक अभियंता को उक्त कार्य को त्वरित गति से पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालन– कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल, दरभंगा

- पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत ढ़ाका प्रखंड के बलुआ गुआबारी पंचायत में बाढ़ आश्रय स्थल भवन के निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मोतिहारी द्वारा बताया गया कि उक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति वर्ष 2018 में प्राप्त हुई है परन्तु स्थल अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। कार्यपालक अभियंता को योजना स्थगित कराने हेतु मुख्य अभियंता (उत्तर) को पत्र देने का निदेश दिया गया।

अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मोतिहारी

- पटना जिला में 1 यूनिट A टाईप District Emergency Response Facility-cum-Training Centre की स्थापना के निमित्त राज्य आपदा Response निधि (SDRF) के Preparedness &Capacity Building Windowसे आधारभूत संरचना के निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, पटना सिटी भवन प्रमंडल, पटना द्वारा बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा उक्त योजना हेतु चिन्हित भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य करने पर रोक लगा दी गयी है। जिला प्रशासन द्वारा नई जमीन का प्रस्ताव प्रशासी विभाग को भेजा गया है। प्रशासी विभाग को इस संबंध में अग्रतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन–प्रशासी विभाग

➢ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

- समस्तीपुर जिला अन्तर्गत कल्याणपुर में 100 आसन वाले राजकीय कल्याण छात्रावास भवनों का निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, समस्तीपुर द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य विलम्ब से प्रारंभ हुआ था तथा गुणवत्ता जाँच टीम के निरीक्षण के बाद काम बंद है। Core Cutting का Sample NIT, Patna को भेजा गया है। जाँच का प्रतिवेदन मिलने के बाद ही कार्य प्रारंभ किया जाएगा। कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि जाँच की प्रक्रिया NIT, Patna से जल्दी पूर्ण कराकर कार्य प्रारंभ किया जाय।

अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, समस्तीपुर

- पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत चिरैया में 100 आसन वाले राजकीय कल्याण छात्रावास भवनों का निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मोतिहारी द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य धीमी गति से चल रहा है।

  अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा उक्त कार्य के संबंधित संवेदक को डिबार करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मोतिहारी

- पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत हरसिद्धि में 100 आसन वाले राजकीय कल्याण छात्रावास भवनों के निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मोतिहारी द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य धीमी गति से चल रहा है।

  अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा उक्त कार्य के संबंधित संवेदक को डिबार करने का निदेश दिया गया।

  अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मोतिहारी

- समस्तीपुर जिलान्तर्गत कल्याणपुर में डॉ0 भीम राव अम्बेडकर आवासीय 10+2 उच्च विद्यालय भवन (720 आसन) का निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, समस्तीपुर द्वारा बताया गया कि उक्त कार्यस्थल के परिसर में अत्यधिक मिट्टी भराई के कारण चहारदिवारी झुक गयी है, उक्त कार्य हेतु पुनः निरूपण हेतु मुख्य अभियंता (निरूपण) को भेजा गया है।

  अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा उक्त कार्य हेतु कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया है कि पुनः स्मार पत्र देना सुनिश्चित करें।

  अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, समस्तीपुर

- पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत मोतिहारी प्रखंड में 100 आसन वाले राजकीय कल्याण छात्रावास भवन का निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मोतिहारी द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य धीमी गति से चल रहा है।

  अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा उक्त कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया है कि कार्य पूर्ण करने हेतु संवेदक से समय सीमा लेना सुनिश्चित करें।

  अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मोतिहारी

- समस्तीपुर जिलान्तर्गत मोहिउद्दीननगर में 100 आसन वाले राजकीय कल्याण छात्रावास भवन के निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, समस्तीपुर द्वारा बताया गया कि कार्य धीमी गति से चल रहा है।

  अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा उक्त कार्य हेतु कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया है कि संवेदक से पुनः समय सीमा लेते हुए कार्य को ससमय पूरा करना सुनिश्चित करें।

  अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, समस्तीपुर

- गयाजी जिला अन्तर्गत राज्य स्कीम मद से डॉ भीम राव अम्बेदकर आवासीय विद्यालय प्रखंड–सह–अंचल, टेकारी में विद्यालय भवन (720 आसन) का निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, गयाजी द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य धीमी गति से चल रहा है।

  अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा उक्त कार्य के संबंधित संवेदक को डिबार करने का निदेश दिया गया।

  अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, गयाजी

- औरंगाबाद जिलान्तर्गत 720 आसन वाले डॉ0 भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय, कुटुम्बा, औरंगाबाद निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य के जाँच में Course

Agreegate के गुणवत्ता सही नहीं पाया गया है। मुख्य अभियंता (गुणवत्ता) इस संबंध में कार्यपालक अभियंता से पत्र के माध्यम से प्रतिवेदन की मांग की गयी है।

अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा उक्त कार्य से संबंधित प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, औरंगाबाद को निदेश दिया गया।

अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, औरंगाबाद

- कैमूर जिलान्तर्गत दुर्गावती प्रखंड अन्तर्गत 100 आसन वाले राज्यकीय कल्याण छात्रावास के निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, भभुआ द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य धीमी गति से चल रहा है।

  अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा कार्यपालक अभियंता को संवेदक से समय सीमा हेतु पत्राचार करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, भभुआ

- पूर्णियाँ जिलान्तर्गत अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय प्रखंड धमदाहा में (720 आसन) के निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, पूर्णियाँ द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य का कार्यादेश निर्गत किया गया है, परन्तु कार्यस्थल पर प्रशासन द्वारा रोक लगा दी गयी है।

अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, पूर्णियाँ

- औरंगाबाद जिलान्तर्गत राज्य स्कीम मद से डॉ0 भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय, प्रखंड–सह–अंचल नवीनगर, जिला औरंगाबाद में विद्यालय भवन (720 आसन) के निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि स्थल पर्याप्त नहीं रहने के कारण 720 आसन के स्थान पर 480 आसन का भवन निर्माण कार्य करना है जिसके निरूपण नक्शा की मांग मुख्य अभियंता (निरूपण), भवन निर्माण विभाग से की गई है। प्रशासी विभाग द्वारा बताया गया कि 480 आसन का मॉडल नक्शा अनुमोदित कर दिया गया है।

अनुपालन–मुख्य अभियंता (निरूपण)/कार्यपालक अभियंता, भ0प्र0, औरंगाबाद

- समस्तीपुर जिलान्तर्गत मोहिउद्दीननगर में 100 आसन वाले राजकीय कल्याण छात्रावास भवन के निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, समस्तीपुर द्वारा बताया गया कि कार्य धीमी गति से चल रहा है।

  अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा उक्त कार्य हेतु कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया है कि संवेदक से पुनः समय सीमा लेते हुए कार्य को ससमय पूरा करना सुनिश्चित करें।

अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, समस्तीपुर

➢ पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

- पटना जिलान्तर्गत अब्दुल क्यूम अंसारी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास, रानीघाट, पटना के परिसर में 50 आसन वाले (जी0+3) पिछड़ा वर्ग छात्रावास (फर्नीचर सहित) के निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, पटना भवन प्रमंडल, पटना द्वारा बताया गया कि कार्यस्थल पर असमाजिक तत्वों द्वारा कार्य करने नहीं दिया जा रहा है।

  अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया है कि संवेदक द्वारा इस संबंध में FIR करायी जाय।

  अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, पटना भवन प्रमंडल, पटना

➢ गृह (कारा) विभाग

- उप–कारा मसौढ़ी, पटना के 4 अदद वॉच टावर का उच्चीकरण के संबंध में कार्यपालक अभियंता, पटना सिटी भवन प्रमंडल, गुलजारबाग द्वारा बताया गया कि वॉच टावर की ऊँचाई बढ़ाने के क्रम में पुराना वॉच टावर हिलने लगा था इस कारण इस योजना के स्थगन का प्रस्ताव तथा नई योजना की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है।

  अनुपालन–प्रशासी विभाग

- लखीसराय जिलान्तर्गत मंडल कारा, लखीसराय के पेरिमीटर वॉल की ऊँचाई को 21 फिट कराने के निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, लखीसराय द्वारा बताया गया कि पुराने चहारदिवारी को तोड़ने के लिए जेल अधीक्षक से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु पत्राचार किया गया है। कार्यपालक अभियंता को चहारदिवारी में वॉच टावर का प्रावधान कराने एवं पुरानी चहादिवारी तोड़ने से पहले ही नई चहारदिवारी का निर्माण कराने से संबंधित मार्गदर्शन लेने हेतु जिला पदाधिकारी एवं जेल अधीक्षक से सम्पर्क करने का निदेश दिया गया।

  अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, लखीसराय

- मंडल कारा, सहरसा के पूरे परिसर में चहारदिवारी के निर्माण कार्य के संबंध में बताया गया कि कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सहरसा द्वारा बताया गया कि स्थल विवादित है एवं जिला पदाधिकारी, सहरसा द्वारा 3 सदस्यों की समिति बनाकर इसका समाधान किया गया है, परन्तु जमीन अबतक लिखित रूप से अप्राप्त है। समय विस्तार हेतु प्रक्रिया की जा रही है।

  अनुपालन–प्रशासी विभाग/
  कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सहरसा

➢ युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

- औरंगाबाद जिलान्तर्गत महिला अद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान, औरा के निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि कार्य धीमी गति से चल रहा है। संवेदक को कार्य शीघ्र पूर्ण कराने हेतु पत्र दिया गया है।

अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा उक्त कार्य हेतु कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया है कि संवेदक को कालीकृत करना सुनिश्चित करें।

अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, औरंगाबाद

- मुंगेर जिलान्तर्गत अद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान, हवेली, खड्गपुर के निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर द्वारा बताया गया कि कार्य पूर्ण हो चुका है। परन्तु Fire Fighting का कार्य कराने का निदेश प्राप्त हुआ। इस संबंध में Fire Fighting का प्राक्कलन प्रशासी विभाग को अनुमोदन हेतु भेजा गया है।

अनुपालन–प्रशासी विभाग

- जमुई जिलान्तर्गत महिला अद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान, कुमार सिकन्दरा के निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, जमुई द्वारा बताया गया कि कार्य मार्च, 2025 में पूर्ण हो चुका है परन्तु अभी तक हस्तांतरण नहीं कराया गया है। अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा उक्त कार्य हेतु प्रशासी विभाग को हस्तांतरण हेतु अनुरोध किया गया है।

अनुपालन–प्रशासी विभाग

➢ कला संस्कृति एवं युवा विभाग

- अरवल जिलान्तर्गत 620 क्षमता का अटल कला भवन का निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, अरवल द्वारा बताया गया कि उक्त योजना हेतु प्राप्त स्थल पर डीलक्स टॉयलेट बनने के कारण कार्य शुरू नहीं हुआ है। जिलाधिकारी, अरवल से दूसरे जमीन उपलब्ध कराने हेतु पत्राचार किया गया है।

  मुख्य वास्तुविद् द्वारा टॉयलेट कम्पलेक्स तोड़ने का या दूसरी जमीन उपलब्ध कराने हेतु प्रशासी विभाग से अनुरोध किया गया है।

अनुपालन–प्रशासी विभाग

- शिवहर जिला मुख्यालय में मॉडल नक्शा पर आधारित 620 क्षमता का **अटल कला भवन** का निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल, शिवहर द्वारा बताया गया की उपलब्ध स्थल आवश्यकता से कम है। मुख्य वास्तुविद्, भवन निर्माण विभाग को उपलब्ध जमीन के अनुसार प्रस्ताव बनाकर प्रशासी विभाग को भेजने हेतु निदेश दिया गया।

अनुपालन– मुख्य वास्तुविद्, भवन निर्माण विभाग

➢ ग्रामीण विकास विभाग

- अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा सभी कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय भवन–सह–आवासीय परिसर के निर्माण कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जाय एवं उक्त कार्य का क्रियान्वयन कराया जाय।

अनुपालन–सभी कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल

- अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा बताया गया कि योजना के क्रियान्वयन हेतु अवरोधरहित भूमि उपलब्ध कराना प्रशासी विभाग का कार्य है। प्रायः यह देखा जा रहा है कि प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय भवन–सह–आवासीय परिसर के निर्माण कार्य हेतु प्रशासी विभाग द्वारा अवरोधरहित भूमि उपलब्ध नहीं करायी गयी है। चिन्हित भूमि पर अवस्थित कार्यालयों को अन्यत्र स्थानांतरित करने एवं पूर्व निर्मित भवनों को तोड़ने हेतु NOC देने में प्रशासी विभाग द्वारा विलम्ब किया जा रहा है। निदेशक (अनुश्रवण), भवन निर्माण विभाग को उन सभी जगहों की सूची तैयार करने का निदेश दिया गया जहाँ पूर्व अवस्थित भवनों को तोड़कर प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय भवन–सह–आवासीय परिसर का निर्माण किया जाना है।

अनुपालन–प्रशासी विभाग / निदेशक (अनुश्रवण), भवन निर्माण विभाग

➢ निबंधन, उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग

- किशनगंज जिलान्तर्गत अवर निबंधन ठाकुरगंज के सी0 टाईप सरकार आवासीय भवन का निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, किशनगंज द्वारा बताया गया कि पूर्व अवस्थित भवन को तोड़ने के पश्चात कार्य प्रारंभ किया जाएगा। टाईप–सी0 आवास के स्थान पर टाईप–डी0 आवास का निर्माण किया जाना है, जिसका ले–आउट नक्शा प्रशासी विभाग को अनुमोदन हेतु भेजा गया है।

अनुपालन–प्रशासी विभाग

- हाजीपुर (वैशाली) जिलान्तर्गत महुआ अवर निबंधन कार्यालय के मुख्य भवन के अन्दर और बाहर रंग रोगन कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, हाजीपुर (वैशाली) द्वारा बताया गया कि अवर निबंधक पदाधिकारी द्वारा कार्य पर रोक लगा दी गयी है तथा कुछ अतिरिक्त कार्य कराने का आदेश दिया गया है।

  अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा उक्त कार्य हेतु कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया है कि संबंधित प्रशासी विभाग से अनुमति लेकर कार्य कराया जाए।

अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, हाजीपुर (वैशाली)

- सहरसा जिलान्तर्गत निबंधन, उत्पाद एवं मद्यनिषेध कार्यालय के चहारदिवारी के निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सहरसा द्वारा बताया गया कि आवंटन के अभाव के कारण संवेदक द्वारा कार्य को रोक दिया गया है। उक्त कार्य का बजट शीर्ष गलत होने के कारण आवंटन प्राप्त नहीं हो पाया है।

  अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा इस संबंध में बजट शीर्ष परिवर्तन करने हेतु निदेश दिया गया है।

अनुपालन–प्रशासी विभाग

- पटना जिलान्तर्गत मद्यनिषेध कार्यालय, बाढ़ के भवन, बैरक, हाजत, मालखाना के साथ–साथ 10 बैडेड महिला बैरक एवं चहारदिवारी के निर्माण कार्य के संबंध में

कार्यपालक अभियंता, पटना सिटी भवन प्रमंडल, गुलजारबाग द्वारा बताया गया कि जमीन अप्राप्त है। उक्त स्थल पर कार्यालय का निर्माण नहीं किया जा सकता है।

अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा कार्यपालक अभियंता, पटना सिटी को निदेश दिया गया है कि जमीन उपलब्ध कराने हेतु प्रशासी विभाग को पत्र देना सुनिश्चित करें।

अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, पटना सिटी भवन प्रमंडल, गुलजारबाग

- मुंगेर जिलान्तर्गत अवर निबंधन कार्यालय, हवेली खड़गपुर के निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर द्वारा बताया गया कि उक्त कार्यालय का कार्य 6 महीने पूर्व ही पूर्ण हो चुका है। हस्तांतरण नहीं लिया जा रहा है। प्रशासी विभाग द्वारा Ijlas बनाने का निदेश दिया गया है।

अनुपालन–प्रशासी विभाग / कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर

- नालंदा (बिहारशरीफ) जिलान्तर्गत गयाजी–नालंदा रोड और नवादा–नालंदा रोड के बीच दो चेक पोस्ट के निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, नालंदा (बिहारशरीफ) द्वारा बताया गया कि वर्तमान में प्रशासी विभाग द्वारा दूसरी चेक पोस्ट की आवश्यकता नहीं है।

अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा उक्त योजना को बंद कराने हेतु प्रशासी विभाग से अनुमोदन प्राप्त करने का अनुरोध किया गया।

अनुपालन–प्रशासी विभाग

➢ सहकारिता विभाग

- बक्सर जिलान्तर्गत सहकार भवन का निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, बक्सर द्वारा बताया गया कि उक्त योजना हेतु चिन्हित जमीन ग्रामीण विकास विभाग की है। प्रशासी विभाग को ग्रामीण विकास विभाग से निर्माण कार्य हेतु अनुमति लेने अथवा जमीन बदलने हेतु अनुरोध किया गया।

अनुपालन–प्रशासी विभाग

- सिवान जिलान्तर्गत जिला मुख्यालय में सहकार भवन का निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सिवान द्वारा बताया गया कि उक्त निर्माण कार्य हेतु स्थल अभी तक अनुपलब्ध है। प्रशासी विभाग को स्थल उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

अनुपालन–प्रशासी विभाग

➢ पंचायती राज विभाग

- निदेशक (अनुश्रवण), भवन निर्माण विभाग द्वारा सभी कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया है कि पंचायत सरकार भवनों से संबंधित पंचायती राज्य विभाग का **Panchayat Nicchay Soft Portal** को प्रत्येक माह सही तरीके से अद्यतन किया जाय, साथ ही भवन निर्माण विभाग के **PSB (PMIS) पोर्टल** पर योजनाओं को निरंतर अद्यतन करना सुनिश्चित करें। इसे अतिआवश्यक समझा जाय।

अनुपालन–सभी कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल

➢ प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना

- अधीक्षण अभियंता, संरचना अंचल, पटना द्वारा प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना अन्तर्गत गति शक्ति डिजिटल प्लेटफार्म द्वारा योजनाओं के रियल टाईम मॉनिटोरिंग हेतु निर्मित PMG पोर्टल के विषय में विस्तार से जानकारी दी गयी। PMG पोर्टल पर 50 करोड़ से अधिक राशि वाले योजनाओं को अपलोड करने हेतु विहित प्रपत्र को भरने की प्रक्रिया तथा महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा की गयी। मुख्य सचिव, बिहार द्वारा प्रत्येक माह की 26 तारीख को PMG पोर्टल के आधार पर योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। अतः PMG पोर्टल पर योजनाओं को अद्यतन करने हेतु प्राधिकृत कार्यपालक अभियंता तथा सहायक अभियंता, सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता से योजनाओं की वस्तुस्थिति प्राप्त कर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक PMG पोर्टल पर निश्चित रूप से अद्यतन करना सुनिश्चित करें।

अनुपालन—PMG पोर्टल हेतु प्राधिकृत कार्यपालक अभियंता एवं सहायक अभियंता

➢ खेल विभाग

- सीतामढ़ी जिलान्तर्गत डुमरा प्रखंड के रामजानकी स्टेडियम, डुमरा में सी०सी०टी०वी० कैमरा एवं साईलेंट जनरेंटर का निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सीतामढ़ी द्वारा बताया गया कि संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं कराने पर संवेदक को EMD की राशि को जब्त करते हुए कालीकृत किया गया है।

  अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा एकरारनामा को Rescind करने का निदेश दिया गया है।

अनुपालन—कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सीतामढ़ी

➢ गुणवत्ता अनुश्रवण की समीक्षा

- मुख्य अभियंता, गुणवत्ता अनुश्रवण द्वारा निदेश दिया गया कि सभी कनीय अभियंता एवं सभी सहायक अभियंता Drawing एवं Design को सही तरीके से पढ़कर उनके अनुसार कार्य कराना सुनिश्चित करें।

अनुपालन—सभी कनीय अभियंता / सभी सहायक अभियंता

- मुख्य अभियंता, गुणवत्ता अनुश्रवण द्वारा सभी कनीय अभियंता, सभी सहायक अभियंता एवं सभी कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि रात के समय में ढलाई का कार्य न कराया जाए। साईट पर ढलाई कार्य का विडियो बनाकर संग्रहित कर रखा जाय।

अनुपालन—सभी कनीय अभियंता / सभी सहायक अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता

➢ ए0सी0 / डी0सी0 विपत्र, वाद / अवमाननावाद, सेवान्त लाभ तथा विभागीय शिकायत निवारण समिति से संबंधित

- अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा सभी प्रमंडलों में लंबित AC/DC विपत्र (सूची संलग्न) जिनका समायोजन किया जाना है, हेतु आवश्यक कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र करने का निदेश दिया गया, इस हेतु किसी भी तरह के असमंजस की स्थिति को वित्त विभाग के प्रभारी पदाधिकारी डॉ0 अरूण कुमार (दूरभाष सं0–9911231821) के सहयोग से स्पष्ट किया जा सकता है।

अनुपालन–सभी कार्यपालक अभियंता

बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गयी।

ज्ञापांक–डी0डी0–1–विविध–49 / 05 / 2019–20(पार्ट–VI)______ दिनांक–__________

11.2.26

(सुरेश प्रसाद प्रभाकर)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक–डी0डी0–1–विविध–49 / 05 / 2019–20(पार्ट–VI) 1460 (अ) दिनांक– 11/2/26

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने एवं संबंधित प्रशासी विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

11.2.26

O/C

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव